बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्रीमती प्रतिमा (कोटि क्रमांक–284 / 2024), प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, बगहा–1, प0 चम्पारण (बेतिया) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–739 दिनांक–01.06.2026 द्वारा गठित आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि श्री अशोक कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, वार्ड नं0–30, नगर परिषद्, बगहा, प0 चम्पारण के आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के पत्रांक–398 दिनांक–25.05.2023 द्वारा उनके दुकान की सम्बद्धता श्री संजय कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, वार्ड नं0–31 के साथ की गई, परन्तु मृत विक्रेता के मृत्यु के समय ई–पॉश मशीन में प्रदर्शित 493.17 क्विंटल चावल एवं 341.71 क्विंटल गेहूँ कुल–834.88 क्विंटल खाद्यान्न के विरूद्ध 44.76 क्वीं0 चावल एवं 11.19 क्वीं0 गेहूँ कुल–55.95 क्वीं0 खाद्यान्न सम्बद्ध विक्रेता श्री संजय कुमार को प्राप्त हुआ। उक्त के क्रम में ई–पॉश मशीन में नॉमिनी बदलने की प्रक्रिया में आ रही तकनिकी समस्या के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के पत्रांक–559 दिनांक–05.07.2023 द्वारा उक्त मृत विक्रेता के दुकान को मो0 इमामुद्दीन, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, वार्ड संख्या–28, नगर परिषद्, बगहा के दुकान के साथ सम्बद्ध किया गया तथा माह मई के आवंटन के विरूद्ध 44.76 क्वीं0 चावल एवं 11.19 क्वीं0 गेहूँ कुल–55.95 क्वीं0 खाद्यान्न मो0 इमामुद्दीन को हस्तगत कराया गया।

प्रस्तुत मामले की जाँच हेतु गठित संयुक्त जाँच टीम द्वारा समर्पित प्रतिवेदन, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, मृत विक्रेता के पुत्र एवं माँ के द्वारा समर्पित पक्ष तथा शैलेश प्रसाद, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, वार्ड संख्या–16 के बयान के अनुसार मृत जन वितरण प्रणाली विक्रेता अशोक कुमार के गोदाम से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के निदेश के आलोक में अवशेष खाद्यान्न अन्यत्र ले जाया गया तथा सम्बद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता (मो0 इमामुद्दीन) को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार अवशेष खाद्यान्न की कालाबाजारी में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक श्रीमती प्रतिमा, बगहा–1, प0 चम्पारण, बेतिया की संलिप्तता परिलक्षित होता है तथा इनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है तथा आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 की कंडिका–3(1) के प्रतिकूल है। उपर्युक्त आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 / 19 के संगत प्रावधानों के अधीन श्रीमती प्रतिमा के विरूद्ध जाँच करने का प्रस्ताव है।

2. उक्त आरोपों से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्रीमती प्रतिमा (कोटि क्रमांक–284 / 2024), प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, बगहा–1, प0 चम्पारण (बेतिया) से इसके द्वारा अपेक्षा की जाती है कि 15 दिनों के अन्दर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन विभाग को अवश्य प्रस्तुत करें तथा यह भी बतायें कि जिन आरोप के मदों को आपके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, उनकी व्यक्तिशः सुनवाई चाहते हैं।

3. श्रीमती प्रतिमा को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त आरोपों के मदों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन 15 दिनों के अन्दर विभाग को प्राप्त नहीं होगा, तब निलंबन एवं विभागीय जाँच के संबंध में निर्णय उपलब्ध साक्ष्य / अभिलेखों के आधार पर कर लिया जाएगा।

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(पश्चिम चम्पारण, बेतिया)–06 / 2026 3156 खाद्य, पटना / दिनांक– 16/06/2026

प्रतिलिपि–1. श्रीमती प्रतिमा (कोटि क्रमांक–284 / 2024), प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, बगहा–1, प0 चम्पारण (बेतिया), E-Mail ID : pratima2srvstv@gmail.com, Mobile No. 8920088174 को आरोप पत्र एवं साक्ष्य अभिलेखों के साथ (अनु0–यथोक्त) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया / अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।